न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या–01, केकड़ी. (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – रमेश कुमार करोल (आर.जे.एस.)

आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या – 455/2022

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 670/2021

सी.आई.एस. संख्या – 1321/2022

राजस्थान राज्य

–अभियोजन

बनाम

महावीर प्रसाद पुत्र हरिप्रसाद निवासी भाग्योदय नगर, पुलिस थाना केकड़ी जिला अजमेर

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:

1. अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य।
2. श्री चेतन धाभाई, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

निर्णय दिनांक– 28.01.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी सत्यनारायण ने पुलिस थाना केकड़ी में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि दिनांक 03.11.2021 को समय शाम के करीब आठ बजे उसका छोटा भाई घनश्याम उर्फ विकास पैदल–पैदल पानी की टंकी से पोकी नाड़ी जयपुर रोड़ की ओर अपनी साइड में जा रहा था कि सामने की ओर से वाहन संख्या आर जे 01 सीएम 6296 का वाहन चालक तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाता हुआ आया और पैदल चलते हुए उसके भाई के टक्कर मार दी, जिससे उसके भाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई....आदि।

2. उक्त रिपार्ट पर पुलिस थाना केकड़ी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 670/21 दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया। बाद अनुंसधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता प्रमाणित पाये जाने पर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा

अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर अपराध अस्वीकार कर दिया एवं अन्वीक्षा चाही। एतद्द्वारा पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के लिए नियत की गई।

4. दौराने साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.ड. 1 सत्यनारायण, गवाह पी.ड. 2 सांवरलाल, गवाह पी.ड. 3 रामलाल, पी.ड. 4 लालचंद, पी.ड. 5 सुरेश, पी.ड. 6 ओमप्रकाश, पी.ड. 7 राजू एवं पी.ड. 8 हरिओम को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया एवं बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी– 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 सी.आर.पी.सी लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाया जाने का कथन किया। बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

6. **न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है कि:–**

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.11.2021 को समय शाम के करीब आठ बजे स्थान बायपास पोक की नाड़ी केकड़ी पर मानव जीवन को संकटापित करते हुए वाहन संख्या आर जे 01 सी.ए. 6296 को लापरवाही पूर्वक चलाकर अपनी साइड में पैदल चलते परिवादी के भाई घनश्याम के टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई ?

2. यदि हां, तो दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

7. अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 08 गवाहों को परीक्षित कराया गया है। जिनमें से उक्त गवाहों की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो न्यायालय के समक्ष यह स्थिति प्रकट आती है कि अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के रिपोर्टकर्ता पी.ड. 01 सत्यनारायण ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 03.11.2023 को उसके भाई घनश्याम के पैदल जाते हुए के किसी वाहन द्वारा उसके टक्कर मारे जाने एवं उक्त

दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित होने बाबत कथन किया है। गवाह द्वारा यह भी कथन किया गया है कि दुर्घटना उसके सामने नहीं हुई थी। गवाह द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वह नहीं बता सकता है कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई व वाहन कौन चला रहा था। उसने लोगों के कहे अनुसार रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

8. इसी प्रकार गवाह पी.ड. 02 सांवरलाल, जो कि मृतक घनश्याम का भाई है, ने भी अपनी साक्ष्य में उसके भाई घनश्याम के पैदल जाते हुए के किसी वाहन द्वारा टक्कर मारने का कथन किया गया है एवं दुर्घटना के समय स्वयं का मौके पर नहीं होने बाबत भी कथन किया गया है। उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई एवं वाहन कौन चला रहा था, इस बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है। उक्त गवाह को भी अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 03 रामलाल ने भी उक्त दोनों गवाहों के कथनों के अनुरूप ही कथन करते हुए घनश्याम की दुर्घटना में मृत्यु होने बाबत कथन तो किया है किंतु उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई एवं वाहन कौन चला रहा था, इस बारे में जानकारी नहीं होना बताया है। उक्त गवाह को भी अभियोजन अधिकारी ने पक्षद्रोही घोषित किया है।

9. इस प्रकार स्वयं परिवादी ने उसके द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 की ताईद नहीं करते हुए तहरीरी रिपोर्ट के विपरीत कथन करते हुए आरोपित वाहन एवं उसके चालक के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है। इस प्रकार परिवादी पी.ड. 01 सत्यनारायण ने उसके द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 की ताईद अपनी बयानों में नहीं की है। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 02 सांवरलाल एवं पी.ड. 03 रामलाल ने भी अपने बयानों में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन एवं उसके चालक के संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 04 लालचंद, पी.ड. 05 सुरेश भी न्यायालय के समक्ष अपने बयानों से पक्षद्रोही साबित हुए हैं, जिनके द्वारा भी आरोपित वाहन एवं उसके चालक के संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है। अन्य गवाह पी.ड. 06 ओमप्रकाश, पी.ड. 07 राजू एवं पी.ड. 08 हरिओम प्रकरण में मात्र औपचारिक साक्षीगण है। उक्त गवाहों द्वारा मात्र संबंधित फर्दात पर अपने हस्ताक्षरों की सम्पुष्टि की है। उक्त गवाहों के बयानों से अभियोजन पक्ष के विवरण को कोई सम्बल प्रदत्त नहीं होता है।

10– इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्वयं परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में विरोधाभासी कथन किये है एवं अपनी तहरीरी रिपोर्ट की स्पष्ट ताईद नहीं कर पूर्ण विरोधाभासी साक्ष्य अपने बयानों में दी है। किसी भी गवाह द्वारा दुर्घटना कारित

करने वाले वाहन तथा वक्त घटना उस पर चालक के नाम के संबंध मे कोई साक्ष्य अपने बयानों में नहीं दी है। अतः उपरोक्त विवेचन से जब वक्त घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पर अभियुक्त महावीर प्रसाद का चालक होना ही साबित नहीं हुआ है, तो अभियुक्त महावीर प्रसाद के द्वारा ही उक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को उतावलेपन से चलाकर पैदल चलते घनश्याम के टक्कर मारी, जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई, सन्देह से परे साबित नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहान् की साक्ष्य से आरोपित वाहन के चालक द्वारा दुर्घटना कारित करना तो स्पष्ट है, परन्तु प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या आर जे 01 सीए 6296 द्वारा ही दुर्घटना कारित की गयी है और इस पर चालक महावीर प्रसाद ही हो, ऐसी कोई स्पष्ट मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही होने से प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर व चालक के संबंध में रहे स्पष्ट साक्ष्य के अभाव से उत्पन्न हुये सन्देह का लाभ अभियुक्त महावीर को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियोजन पक्ष अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से इस बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त महावीर ने दिनांक 03.11.2021 को समय शाम के करीब आठ बजे स्थान बायपास पोक की नाड़ी केकड़ी पर मानव जीवन को संकटापित करते हुए वाहन संख्या आर जे 01 सी.ए. 6296 को लापरवाही पूर्वक चलाकर अपनी साइड में पैदल चलते परिवादी के भाई घनश्याम के टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई ।

11– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन, विश्लेषण तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अभियुक्त महावीर के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है, जिससे अभियुक्त सोहन को उस पर आरोपित अपराध के तहत स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

12– अतः अभियुक्त महावीर प्रसाद पुत्र हरिप्रसाद निवासी भाग्योदय नगर, पुलिस थाना केकड़ी जिला अजमेर को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.स. के तहत सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके अंतर्गत धारा 437क दण्ड प्रक्रिया संहिता आगामी छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

रमेश कुमार करोल, आर.जे.एस.
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1
केकड़ी, जिला–अजमेर

13– निर्णय आज **दिनांक 28.01.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

रमेश कुमार करोल, आर.जे.एस.
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1
केकड़ी, जिला–अजमेर